न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. प्रतिभासिंह, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 01/2025

अपीलान्ट बनाम **रेस्पोडेन्टस**

जवाराराम पुत्र कुम्भाराम जाट
निवासी– थोरियों की ढाणी,
खोखसर पूर्व, तहसील गिडा,
जिला बालोतरा।

1. ठाकराराम पुत्र आदूराम
2. मोटाराम पुत्र आदूराम
3. रावताराम पुत्र आदूराम
4. फातूदेवी पत्नी आसूराम
5. हनुमानराम पुत्र आसूराम जाति– जाट निवासी– थोरियों की ढाणी, खोखसर पूर्व, तहसील गिडा, जिला बालोतरा।
6. बाबूराम पुत्र खींयाराम
7. मूलाराम पुत्र खींयाराम
8. लालाराम पुत्र हुकमाराम
9. देवाराम पुत्र हुकमाराम
10. भंवरलाल पुत्र कुम्भाराम
11. हरफूलराम पुत्र कुम्भाराम
12. प्रकाश पुत्र कुम्भाराम
13. वगताराम पुत्र किशनाराम
14. गोमाराम पुत्र किशनाराम
15. गोरधनराम पुत्र किशनाराम
16. चिमाराम पुत्र किशनाराम
17. दीपाराम पुत्र किशनाराम
18. शेराराम पुत्र किशनाराम
19. धनाराम पुत्र किशनाराम
20. रूपाराम पुत्र तुलछाराम
21. निम्बाराम पुत्र लुम्बाराम
22. बजरंगराम पुत्र तुलछाराम
23. अमराराम पुत्र पदमाराम
24. हेमाराम पुत्र पदमाराम
25. दलाराम पुत्र पदमाराम
26. भोमाराम पुत्र किशनाराम
27. दुर्गाराम पुत्र लूम्बराम
28. चूनाराम पुत्र भैराराम
29. देवाराम पुत्र भैराराम
30. भोपाराम पुत्र भैराराम
31. खरथाराम पुत्र भैराराम
32. हडमानराम पुत्र रावताराम
33. आसूराम पुत्र हरूराम
34. हेमाराम पुत्र हरूराम
35. वीरसिंह पुत्र हरूराम

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

36. जवाराराम पुत्र हरूराम
37. हरखाराम पुत्र खेताराम सभी जाति–जाट निवासी– खोखसर पूर्व, तहसील गिडा।
38. सोनाराम पुत्र सुरताराम
39. चनणाराम पुत्र सुरताराम जाट निवासी– बागथल, तहसील भणियाणा।
40. चन्दाराम पुत्र राजूराम
41. शेराराम पुत्र तुलछाराम
42. चम्पतराम पुत्र लुम्भाराम
43. गंगाराम पुत्र लुम्भाराम सभी जाति–जाट निवासी–खोखसर पूर्व, तहसील गिडा।
44. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार गिडा, जिला बालोतरा।

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश जो उपखंड अधिकारी, बायतू, जिला– बालोतरा के द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 383/2021 अनवान ठाकराराम बनाम बाबूराम वगैराह में दिनांक 11.11.2024 को पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. श्री लादूराम पूनिया, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 44 की ओर से।
3. शेष रेस्पोडेन्टस बावजूद नोटिस तामीली के अनुपस्थित है।

न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

निर्णय

दिनांक 22 अप्रेल, 2025

अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, बायतू जिला बालोतरा के समक्ष धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी के ख0सं0 1357 रकबा 16.5516 हैक्टर भूमि ग्राम खोखसर पूर्व की नेखमबन्दी करवाये जाने हेतु निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज करने के उपरान्त अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को जारी नोटिसेज उपरान्त अप्रार्थीगण के उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दिनांक 11.11.2024 को नेखमबन्दी करने का

सम्भागीय आयुक्त

आदेश पारित कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील दिनांक 07.01.2025 को पेश की है।

पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागतण उपस्थित है। दौराने सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश स्पष्ट रूप से विधि विरूद्ध, विधि एवं कानून के प्रावधानों के विरूद्ध पारित किया गया है। रेस्पो0 संख्या 1 ता 5 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में संस्थित किये गये अप्रार्थीगण को जारी नोटिस उन्हें प्राप्त नहीं हुए और जो नोटिस पत्रावली पर पेश हुए उसमें तारीख पेशी में कांट–छांट कर दिनांक 6.4.2022 अंकित की गई है जिस पर किसी जिम्मेदार अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है जो बाद में हेरा–फेरी करके पत्रावली में लगाये गये है। इसके अलावा दिनांक 6.4.2022 की आदेशिका में भी अधिलेखन करके रीडर द्वारा गैर हाजिरी दर्ज की गई है। इसके पश्चात दो वर्ष तक पीठासीन अधिकारी के समक्ष पत्रावली पेश नहीं की गई तथा आगामी पेशी के नोटिस तामील नहीं करवाये गये। इस प्रकार सम्पूर्ण कार्यवाही बाले–बाले कर दिनांक 19.6.2024 को अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही गलत की गई है। अपीलान्ट को कोई नोटिस तामील नहीं करवाया गया।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्टस की ओर से पेश प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की धारा 111, 128 के प्रावधानों के तहत निर्धारित मापदण्डों के अनुसार जॉच नहीं करवाई गई एवं केवल मात्र विप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने के आधार पर रेस्पोडेन्ट्स के प्रार्थना पत्र को बिना किसी साक्ष्य सबूत, जॉच के स्वीकार किये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान करवाकर सीमाएं निर्धारित नहीं की गई तथा सीमाज्ञान सम्बन्धी भी कोई रिपोर्ट तहसीलदार से प्राप्त नहीं की गई। तहसीलदार से बिना सीमाज्ञान रिपोर्ट मंगवाये एवं स्वयं द्वारा मामले में सीमाज्ञान की स्थिति को रेकर्ड पर लिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है जो धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में प्रत्यर्थीगण के खेतों के खसरा संख्या व उसके लगने वाले अपीलार्थी/ विप्रार्थी के खेतों के खसरा संख्या अंकित नहीं किये गये। इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर न्यायिक बिन्दुओं पर ध्यान दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया जो कि त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलार्थी के ख0सं0 1363 व रेस्पो0 संख्या 1 ता 5 के ख0सं0 1357 के मध्य पुरानी माठ सीमा सेटलमेन्ट के समय से कायम चली आ रही है तथा 20 साल से भी अधिक पुरानी तारबन्दी की हुई है जिसमें अपीलार्थी की ढाणी व पानी के टांके इत्यादि बने हुए है। रेस्पो0 संख्या 1 ता 5 ने अपीलार्थी की तारबन्दी तोड कर अन्दर घुसने, जबरदस्ती कब्जे में दखल कर कब्जा करने पर उतारू होने पर रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध एक वाद सहायक कलेक्टर बायतू के समक्ष प्रस्तुत कर वाद के लम्बित रहने के दौरान अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 28.01.2021 को प्राप्त की गई जो कि प्रभावहीन है, उक्त वाद के समानान्तर नेखमबन्दी का प्रार्थना पत्र कानूनी रूप से चलने योग्य नहीं है तथा पक्षकारों के हक–अधिकार मूल वाद में ही तय हो सकते है। इस कारण रेस्पो0 संख्या 1 ता 5 का नेखमबन्दी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं था।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन प्रकरण में धारा 111, 128 के प्रावधानों की पालना नहीं की गई और वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान/पैमाइश रिपोर्ट मंगवाये बिना ही रेस्पो0 संख्या 1 ता 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के द्वारा निर्णय आरआरटी 2017 (2) पेज 1084 में सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये है कि वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान/पैमाइश रिपोर्ट पहले प्राप्त की जायेगी उसके बाद पत्थरगढी की जायेगी। अतः अपीलान्ट की ओर से पेश अपील को स्वीकार किया जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.11.2024 को निरस्त किया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 44 की ओर से दौराने सुनवाई विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक ता पांच द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुए अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु निवेदन किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये परन्तु अप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए रेस्पोडेन्ट्स के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर दिनांक 11.11.2024 को आदेश पारित करते हुए रेस्पो0 संख्या 1 ता 5 के ख0सं0 1357 रकबा 16.5516 हैक्टर भूमि की नेखमबन्दी करने के निर्देश दिये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.11.2024 यथावत रखे जाने योग्य है।

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर गहनता से मनन एवं चिन्तन किया तथा अपील पत्रावली, अधीनस्थ न्यायालय के मूल रेकर्ड इत्यादि का अध्ययन व अवलोकन किया गया। अपीलान्ट्स के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.11.2024 के विरूद्ध पेश की गई अपनी इस अपील में मुख्य रूप से यह आपत्ति की है कि वादग्रस्त खसरा की उक्त भूमि के पडौसी खातेदारों/अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय अपना पक्ष रखे जाने तथा सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है तथा वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान विधि के अनुसार नहीं कराया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं में सुनवाई हेतु निर्धारित तिथियों में कांट–छांट की गई है तथा अपीलार्थी को नोटिस तामील नहीं करवाये गये और अपीलार्थी को विधिवत तामील हुए बिना एकपक्षीय कार्यवाही कर अपीलाधीन आदेश के जरिये रेस्पो0 संख्या 1 ता 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया गया है।

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपनी इस अपील में मुख्य आपत्ति यह की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 ता 5 के प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी किये जाने, पर आदेश करने से पूर्व वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान नहीं करवाया गया है तथा अपीलान्ट एवं अन्य अप्रार्थीगण को अनुपस्थित मानते हुए उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर रेस्पो0संख्या 1 ता 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए पत्थरगढी किये जाने का आदेश पारित कर दिया है। ऐसे में अपीलान्टगण को अपना पक्ष रखे जाने एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त प्रस्तुत प्रकरण में वर्तमान अपीलान्ट्स को अप्रार्थी पक्षकार अवश्य बनाया गया है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह कही प्रकट नहीं होता है कि उनको सुनवाई हेतु जारी किये गये नोटिसेस विधिवत तामील होकर प्राप्त हुए हो और उन्हें सुनवाई का पर्याप्त एवं उचित अवसर प्रदान किया गया हो। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में मात्र यह लिख दिया जाना कि "विप्रार्थीगण के नोटिस पूर्व रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये, जिनको दो माह से अधिक का समय व्यतित हो चुका है। बावजूद सूचना के कोई उपस्थित नहीं। विप्रार्थीगणों को न्यायालय समय में तीन बार आवाज लगाई गई। विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।" अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा ऐसा निर्णय पत्रावली का निस्तारण करने की धारणा रखते हुए पारित किया गया प्रतीत होता है न कि पक्षकारान के प्रकरण में विवाद का निर्णय/न्याय

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

किये जाने की दृष्टि से, जबकि अपीलान्ट्स रेस्पो0 संख्या एक ता पांच उक्त भूमि के पडौसी खातेदार है, अपीलाधीन आदेश की कियान्विती से उनकी भूमि की सीमाएं भी अवश्य प्रभावित होंगी। प्राकृतिक न्याय एवं नैसर्गिक सिद्धान्तों के तहत प्रभावित पक्षकारान/खातेदारान को अपना पक्ष रखे जाने का अवसर दिया जाना आवश्यक होता है। ऐसें में हमारे विनम्र मत में उपरोक्त आब्जर्वेशन एवं समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट्स की अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य होने से अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उभय पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त पुनः नये सिरे से निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के उपरान्त अपीलान्ट्स की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.11.2024 को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे रेस्पो0 संख्या एक ता तीन के उल्लेखित खसरा नम्बरों की प्रश्नगत भूमि के बाबत प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षकारान की उपस्थिति में सीमाज्ञान कराये जाने, सीमाज्ञान रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त एवं उचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त पुनः नये सिरे से विधिवत निर्णय पारित किया जाये। निर्णय आज दिनांक 22 अप्रेल, 2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर